

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक : 12-9-18

संख्या-18(प्रो0को0)/ए0सी0पी0-01-07/2014-228(प्र0प्र0) /स्वा0, बिहार
स्वास्थ्य सेवा एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के कुल-40(चालीस) निम्नांकित चिकित्सा
पदाधिकारियों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि
से प्रथम एवं द्वितीय ए0सी0पी0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	चि0पदा0 का नाम	वरीयता क्रमांक (2008)	जन्म तिथि	योगदान की तिथि	प्रथम ए0सी0पी0 की देय तिथि/ वेतनमान- 10000-15200	द्वितीय ए0सी0पी0 की देय तिथि/ वेतनमान- 12000-16500
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	डा0 चन्देश्वर प्रसाद (से0नि0)	1945	08.03.47	14.02.73	09.08.99	9.8.99
2	डा0 सरोज प्रसाद सिंह	2627	01.06.47	19.04.78	09.08.99	19.4.2002
3	डा0 निर्मय कुमार जैन ऐ0से0नि0 अधि0सं0 196(3) 21.4.2017 द्वारा	3173	03.01.51	22.03.79	09.08.99	-
4	डा0 राधेश्याम गुप्ता (से0नि0)	3352	05.02.51	22.03.79	09.08.99	-
5	डा0 कामेश्वर प्रसाद	4799	05.08.53	16.07.81	09.08.99	16.7.2005
6	डा0 नरेन्द्र नारायण राय	5430	01.08.57	01.10.83	28.04.2006	-
7	डा0 अमरेन्द्र नारायण चौधरी	5659	30.12.56	23.08.83	09.08.99	-
8	डा0 महादेव प्रसाद	6079	04.01.54	22.08.83	09.08.99	-
9	डा0 शैल कुमारी झा	6377	27.10.56	21.03.88	26.09.2001	-
10	डा0 शैलेन्द्र कुमार	6482	02.01.56	17.03.88	17.03.2000	-
11	डा0 रविशंकर झा (ऐ0से0नि0)	6497	07.01.56	22.03.88	22.03.2000	-
12	डा0 प्रणव दत्त वर्मा	6653	12.07.60	28.03.88	02.09.2001	-
13	डा0 वीरेन्द्र कुमार शर्मा, ऐ0से0नि0-अधि0 सं0 395(3)19.7.2017	6677	26.01.57	16.03.88	16.03.2000	-
14	डा0 जय प्रकाश सिंह	6742	20.01.54	12.03.88	12.03.2000	-
15	स्व0 डा0 रीता रानी झा (मृत्यु-20.03.2004)	7951	05.10.60	20.11.90	20.11.2002	-
16	डा0 दिनेश प्रसाद गुप्ता	8215	17.01.55	27.11.90	26.02.2004	-
17	डा0 संजय कुमार	8231	15.12.63	22.11.90	05.06.2006	-
18	डा0 जितेन्द्र कुमार सिंह (से0नि0)	8336	14.02.58	13.11.90	13.11.2002	-

21

19	डा० अमिता सिंह	8438	12.04.60	23.10.90	23.10.2002	—
20	डा० विजय प्रताप सिंह	8585	15.01.55	14.11.90	14.11.2002	—
21	डा० प्रहलाद प्रसाद गुप्ता	8846	06.01.63	03.11.90	08.12.2002	—
22	डा० अजय कुमार पाण्डेय	8921	26.05.57	05.11.90	05.05.2003	—
23	डा० रमण कुमार	9018	15.10.61	16.11.90	16.11.2002	—
24	डा० अरुण कुमार	9032	30.04.60	14.11.90	22.03.2007	—
25	डा० शैलेन्द्र कुमार	9173	07.11.60	15.10.90	15.10.2002	—
26	डा० सत्यजीत नन्द क्योलियार	9175	15.02.61	18.11.90	18.11.2002	—
27	डा० जयप्रकाश पाण्डेय	9466	10.01.55	22.11.90	22.11.2002	—
28	डा० अनिल कुमार सिंह	9541	11.04.60	15.11.90	26.10.2004	—
29	डा० अनिता सिंह	9625	15.03.60	07.12.90	07.12.2002	—
30	स्व० डा० मुरारी प्रसाद गुप्ता (मृत्यु-26.9.2011)	9639	30.09.60	10.10.90	10.10.2002	—
31	डा० रूबी श्रीवास्तव	9712	08.01.62	01.01.91	01.01.2003	—
32	डा० अजय कुमार सिंह	9754	01.01.64	28.12.90	28.12.2002	—
33	डा० सुनील कुमार	9857	02.02.59	11.10.90	11.10.2002	—
34	डा० विजय कुमार	10097	24.09.55	09.02.91	09.02.2003	—
35	डा० रामनंदन प्रसाद	10132	25.09.55	16.10.90	16.10.2002	—
36	डा० उपेन्द्र प्रसाद	10204	05.02.57	05.01.91	05.01.2003	—
37	डा० भगवान दास	2193/94	06.01.62	13.11.90	13.11.2002	—
38	डा० नरेश प्रसाद	6439/94	14.11.52	22.3.88	22.03.2000	—
39	डा० शिवकान्त झा ए०से०नि०-अधि०सं० 1436(17) 25.11.2008 द्वारा	—	16.09.54	15.07.81	09.08.99	31.8.2005
40	डा० जयदेव प्रसाद (से०नि०)	—	14.12.50	22.03.79	09.08.99	22.3.2003

- वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या- 4685 वि(2) दिनांक-25.06.2003 के प्रावधानों के तहत 12 वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-10000-15200/- रुपये जिसका पुनरीक्षित वेतनमान-15600-39100/- वेतन बैंड- पी०बी०-3, ग्रेड पे-6600/- रुपये एवं 24 वर्षों की सेवा के उपरान्त द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 12000-16500/- रुपये जिसका पुनरीक्षित वेतनमान 15600-39100/- वेतनबैंड-पी०बी०-3, ग्रेड पे-7600/- रुपये अनुमान्य है। वित्त विभागीय अधिसूचना सं० 4685 वि(2) दिनांक 25.06.2003 के कंडिका-(1)(3) के आलोक में ए०सी०पी० योजना दिनांक-09.08.1999 से प्रभावी है।
- इस अधिसूचना में जिन चिकित्सकों की सेवा अवधि अविनियमित रहने की सूचना है, उनकी अविनियमित अवधि के कारण ए०सी०पी० की देय तिथि आगे बढ़ाया गया है। ऐसे मामले में ए०सी०पी० दिये जाने के बाद यदि चिकित्सक सेवा अवधि के विनियमन का साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं तो प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आदेश से ए०सी०पी० की देय तिथि तदनुसार संशोधन किया जायेगा एवं अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली एकमुस्त संबंधित चिकित्सक से की जायेगी।

4. इस अधिसूचना में किसी चिकित्सक के नाम/योगदान की तिथि/जन्म तिथि/वरीयता क्रमांक एवं ए०सी०पी० की देय तिथि में कोई संशोधन अपेक्षित हो तो इसके लिए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग प्राधिकृत है।
5. इस उन्नयन के फलस्वरूप वेतन/पेंशन का निर्धारण (Fixation of Pay & Pension) वित्त विभाग के मौलिक नियमों (Fundamental Rules) के अनुसार होगा।
6. महालेखाकार (ले० एवं ह०) एवं वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग अधिसूचित ए०सी०पी० के संबंध में वेतन पर्ची निर्गत करने के पूर्व उनकी देयता की जाँच पूर्ण रूप से कर लेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० / -

(अंजनी कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव

- ज्ञापांक-18(प्रो०को०)/ए०सी०पी०-01-07/2014- 228(प्रा० को०)/स्वा०, पटना, दिनांक- 12.9.18
- प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्राधिकार पत्र निर्गत होने के पूर्व अपने सेवा अभिलेख से यह सुनिश्चित हों लें कि सम्बंधित चिकित्सा पदाधिकारी, ए०सी०पी० स्वीकृति हेतु सभी अर्हताएँ पूरी करते हैं।
- प्रतिलिपि- अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक/सभी सिविल सर्जन/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अगमकुआँ, पटना/निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना/संबंधित सभी चिकित्सा पदाधिकारी/महानिरीक्षक, गृह (आरक्षी) विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे अपने स्तर से ज्ञापांक अंकित कर अपने जिला से सम्बंधित चिकित्सा पदाधिकारी को इसकी प्रति निश्चित रूप से प्राप्त करा दें।
- प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष विभागीय प्रोन्नति समिति, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव-सह-सदस्य, विभागीय प्रोन्नति समिति, वित्त विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उप सचिव-सह-सदस्य, विभागीय प्रोन्नति समिति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें के निजी सहायक/स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी- 2, 3, 9 एवं 17 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिपिपि- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।